.....

21.05.2026

विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियुक्त ओंकार सिंह फौत हो चुका है। शेष अभियुक्तगण संजय पुरोहित, अनुकृति, पुष्पा, गोपाल अनुपस्थित। जिनकी हाजिरी माफी जरिये अधिवक्ता श्री प्रदीप कासनियां स्वीकार की गई। अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सीआरपीसी का जवाब पेश किया, जिसकी नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सीआरपीसी सुनी गयी। विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क देते हुए कहा कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री इन्द्रसिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान उनके द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षरों को साबित करवाना है। अतः धारा 311 सीआरपीसी के तहत श्री रामबाबू तत्कालीन कांस्टेबल संख्या 10 एसीबी चौकी भरतपुर को बतौर अभियोजन साक्ष्य में अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षरों को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन साक्ष्य में तलब किया जावे।

जबकि अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया है कि यह गवाह चाहे अनुसंधान अधिकारी के साथ रहा हो परन्तु उनके दस्तावेजात को साबित नहीं कर सकता है। यह प्रार्थना पत्र प्रकरण के निस्तारण में देरी करने के लिए व अभियोजन पक्ष के केस में रही कमियों को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया गया है इसलिये विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 311 सीआरपीसी खारिज किया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि इस प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री इन्द्रसिंह का स्वर्गवास होना बताया गया है और उसकी मृत्यु तस्दीक रिपोर्ट भी इस न्यायालय में पेश हुई है और अब अभियोजन पक्ष अनुसंधान अधिकारी द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजों पर अनुसंधान अधिकारी इन्द्रसिंह के हस्ताक्षरों की तस्दीक हेतु उनके साथ कार्य करने वाले श्री रामबाबू पुत्र चिरमोली निवासी बझराकलां पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर तत्कालीन कांस्टेबल नम्बर 10 हाल सेवानिवृत्त से साबित करवाना चाहता है। अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 311 सीआरपीसी स्वीकार किया जाकर श्री रामबाबू पुत्र चिरमोली निवासी बझराकलां पुलिस थाना वैर जिला भरतपुर तत्कालीन कांस्टेबल नम्बर 10 हाल सेवानिवृत्त को बतौर अभियोजन साक्षी तलब किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस गवाह को जरिये जमानती वारंट रूपये 2000/– से तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 26/5/26 को पेश हो।

(राजेश कुमार–I)

VIMAL SETIA
Steno Gr I
"Authenticate document"
Digitally signed by VIMAL SETIA
Date: 2026.05.21 12:00:27 +0530